प्रेस विज्ञप्ति

01.08.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली जोनल कार्यालय ने ईडी अधिकारियों के प्रतिरूपण के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 31-07-2024 को दिल्ली में तलाशी अभियान चलाए।

ईडी ने दिल्ली पुलिस द्वारा मनोज कुमार नामक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया कि आरोपी मनोज कुमार ने स्वयं को 2017 बैच का भा.रा.से. (आईआरएस) अधिकारी बताया और दावा किया कि वह वर्तमान में ईडी में अपर निदेशक के पद पर तैनात है। यह भी आरोप है कि वह ईडी के लोगो और ईडी की मुहर/सील के साथ ईडी के पत्र दिखाता था ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि वह वास्तव में ईडी का अधिकारी है। इसके बाद, वह ऐसे लोगों से पैसे मांगता और उन्हें धोखा देता।

ईडी की जांच में पता चला कि आरोपी मनोज कुमार ने आईएएस/आईपीएस परीक्षा कोचिंग सेंटर चलाने का दावा किया था। उसने www.manojias.com नाम से एक फर्जी वेबसाइट बना रखी है। वेबसाइट पर दावा किया गया है कि उसका कोचिंग सेंटर आईएएस/आईपीएस परीक्षा के लिए अग्रणी कोचिंग सेंटरों में से एक है।

ईडी की जांच में पता चला कि वह खुद को ईडी और अन्य सरकारी विभागों का अधिकारी बताता रहा है।

तलाशी अभियान के दौरान ईडी और अन्य सरकारी विभागों के फर्जी पहचान पत्र बरामद किए गए। ईडी के जाली दस्तावेज भी मिले, जिनका इस्तेमाल आरोपी लोगों से जबरन वसूली/धोखाधड़ी करने के लिए कर रहा था। आरोपी 5 मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करता हुआ पाया गया। तलाशी के दौरान डिजिटल डिवाइस और अपराध-संकेती दस्तावेज जब्त किए गए।

आगे की जांच जारी है।